

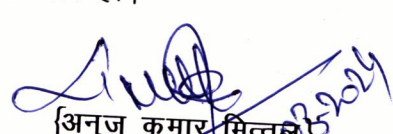
Order Sheet [Contd]

11 - 156
C. J.



Case No. of 20

Date of Order or Proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29-11-2023	राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री अरविंद शर्मा अधिवक्ता उपस्थित। आरोपी अनुपस्थित। प्रकरण वसूली वारंट रिपोर्ट हेतु नियत है। प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध जारी वसूली वारंट तामिल/ अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं। पुनः जारी हो, आवश्यक रूप से तामिली हेतु नोट लगाया जावे। प्रकरण वसूली वारंट रिपोर्ट हेतु दिनांक- 06/04/2024 को पेश हो। (अनुज कुमार मित्तल) विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, जावद, जिला नीमच (म.प्र.) <u>20.03.2024</u> प्रकरण में आरोपी <u>विष्णु कुमार पिता श्यामसुंदर उर्फ श्यामलाल सोनी</u> की ओर से श्री रामसिंह जाट अधि. ने उपस्थित होकर एक आवेदन पेश कर आज अर्थदंड राशि ऑन लाईन जमा कराए जाकर रसीद प्रस्तुत किए जाने का निवेदन किया। जो बाद विचार स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया। अतः प्रकरण में आरोपी <u>विष्णु कुमार पिता श्यामसुंदर उर्फ श्यामलाल सोनी</u>, आयु लगभग 34 वर्ष लगभग, निवासी- ग्राम नई आबादी, बेंगू, जिला- चित्तौड़गढ़, राजस्थान की ओर से श्री रामसिंह जाट अधि. ने मान. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के सीआरए क्र.- 10514/2022 के आदेश दिनांक-18.03.2024 के पालन में अर्थदंड राशि ऑन लाईन जमा कराई जाकर रसीद प्रस्तुत की गई।	

Date of Order or Proceeding	Order of proceeding with Signature of Presiding officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	जिसके अनुसार आरोपी की ओर से अर्थदंड राशि कुल एक लाख रुपये ऑन लाईन न्यायालय के "हेड ऑफ अकाउंट- <u>"0070-01-102-0000"</u> में चालान नं.- 051/9999999/ <u>0070/03/24/024648</u> से जमा किए गए। जिसकी रसीद को न्यायालय कर्मचारी द्वारा एम.पी.टी.यू.आर.एन से मिलान कर प्रस्तुत किया है। जिसके अवलोकन से आरोपी विष्णु सोनी की ओर से संपूर्ण अर्थदंड की राशि जमा कराए जाने से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण की वसूली की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आरोपी की ओर से संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा कराए जाने की सूचना जेल अधीक्षक को प्रेषित की जावे। अतः प्रकरण में पूर्ण वसूली हो जाने से कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण पूर्ण वसूली में निरस्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत नियत समयावधि में दाखिल अभिलेखागार हो।  [अनुज कुमार मिश्रा] विशेष न्यायाधीश, एम.पी.एस एक्ट, जावद, जिला नीमच (म.प्र.)	